संख्या 926/उन्तीस/04/2 (48 पे0)/2004

प्रेषक,

कुँवर सिंह
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
समस्त जनपद(हरिद्वार को छोडकर)
उत्तरांचल।

पेयजल अनुभाग   देहरादून: दिनांक27अप्रेल, 2004

विषय– चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं के कियान्वयन हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रधान कार्यालय , उत्तरांचल पेयजल निगम , देहरादून के पत्रांक 1330/धनावंटन प्रस्ताव दिनांक 15–04–2004 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित जनपदवार विवरणानुसार कुल —— रू0 9, 60, 00,000 (रू0 नौ करोड़,साठ लाख मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

धनराशि (लाख रू0 में)

क0 सं0	जनपद	परिव्यय	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	उत्तरकाशी	326.00	45.00
2	चमोली	172.20	36.00
3	रूद्रप्रयाग	231.00	45.00
4	टिहरी	542.80	180.00
5	देहरादून	218.50	54.00
6	पौड़ी	800.00	202.00
7	पिथौरागढ़	308.00	100.00
8	चम्पावत	254.34	45.00
9	अल्मोड़ा	274.62	100.00
10	बागेश्वर	226.67	45.00
11	नैनीताल	320.00	90.00
12	उधमसिंह नगर	98.80	18.00
	योग	3776.23	960.00

2- प्रस्तर-1 मे स्वीकृत धनराशि का आहरण उत्तरांचल पेयजल निगम के संबंधित जनपद के अधिशासी अभियन्ता/नोडल अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त तथा संबंधित जनपद के जिलाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षरित बिल संबंधित जनपद के कोषागार मे प्रस्तुत करके वास्तविक आवश्कतानुसार ही किया जायेगा।स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण पूर्व मे स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग कर लिये जाने के उपरान्त शासन की अनुमति से ही किया जायेगा । जिन जनपदों मे पूर्व मे स्वीकृत समस्त धनराशि का उपयोग हो चुका है, वे आवंटित धनराशि का आवश्यकतानुसार आहरण कर सकते है।

3- यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि पूर्व स्वीकृत एवं उक्त स्वीकृत धनराशि का 30/06/2004 तक पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा ताकि लाभार्थी तक त्वरित गति से लाभ पहुँचे। यदि समय पर उक्त धनराशि का उपयोग नही होता है तो इसका और कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का ही होगा।

4- स्वीकृत धनराशि से कराये जाने वाले कार्यो पर उ0 प्र0 शासन के वित्त लेखा अनुभाग -2 के शासनादेश सं0- ए-2-87(1)/दस-97-17(4)/75 दिनांक 27-2-97 के अनुसार सैन्टेज व्यय किया जायेगा तथा कार्यो की कुल लागत के सापेक्ष पूर्व मे व्यय की गई धनराशि मे सैन्टेज चार्जेज के रूप मे व्यय की गई धनराशि को समायोजित करते हुए कुल सैन्टेज चार्जेज 12.50 प्रतिशत से अधिक अनुमन्य नही होगी। इस कृपया कड़ाई से सुनिश्चित कर आगणन मे सैन्टेज की व्यवस्था उक्तानुसार ही की जाय।

5- स्वीकृत धनराशि का व्यय प्रथमतया चालू योजनाओ पर किया जायेगा तथा चालू योजनाये शेष न होने पर ही नये कार्यो पर योजनावार विवरण उपलब्ध कराने पर शासन की अनुमति के उपरांत ही धनराशि व्यय की जायेगी।

6- उक्त स्वीकृत धनराशि से जिला योजना मे अनुमोदित ग्रामीण पेयजल योजनाओं का कियान्वयन उत्तरांचल पेयजल निगम द्वारा किया जायेगा। जनपदवार स्वीकृत धनराशि के योजनावार आवंटन की सूचना 2 सप्ताह के अन्दर शासन को अवश्य उपलब्ध करा दी जाय, जिसमें लाभान्वित होने वाली एन0 सी0 तथा पी0 सी0 बस्तियों का विवरण अवश्य स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।

7- स्वीकृत धनराशि ऐसी योजनाओ पर कदापि व्यय न की जाय, जिसके संबंध में तकनीकी स्वीकृति नही है अथवा जो विवादग्रस्त है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि स्वीकृत धनराशि जिला नियोजन तथा अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो पर एवं एन0 सी0 तथा पी0 सी0 बस्तियों के निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु व्यय की जायेगी।

8- व्यय करने से पूर्व जिन मामलो में बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशो के अंतर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उसमे व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्यो पर व्यय करने से पूर्व आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की टैक्निकल स्वीकृत अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

9- कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता अथवा इस स्तर का अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा ।

10- वही कार्य किया जायेगा जो जिला नियोजन एंव अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित हो और जनपदवार आवंटित प्लान परिव्यय के अन्तर्गत हो।

11- स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण के पूर्व, पूर्व स्वीकृत समस्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा और इस धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने के उपरान्त ही आगामी किश्त का प्रस्ताव किया जायेगा।

12- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2004-05 के अनुदान संख्या -13 के लेखाशीर्षक -2215-जलापूर्ति तथा सफाई 01-जलापूर्ति-आयोजनागत-102-ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम-91-जिला योजना-01-ग्रामीण पेयजल तथा जलोत्सारण योजना-20-सहायक अनुदान/अंशदान राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

13- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0 120/वि0 अनु0-3/ 2004 दिनांक 24 अप्रेल , 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलनक यथोक्त

भवदीय,

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

संख्या 926/उन्तीस/04/2 (48 पे0)/2004, तद दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2- समस्त कोषाधिकारी(जनपद हरिद्वार को छोडकर)
3- मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमायूँ।
4- प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पेयजल निगम, देहरादून।
5- मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान, देहरादून।
6- मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल/कुमायूँ) उत्तरांचल पेयजल निगम।
7- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उत्तरांचल पेयजल निगम,संबंधित जनपद।
8- वित्त अनुभाग-3/नियोजन प्रकोष्ठ/बजट सैल, उत्तरांचल शासन।
9- संयुक्त विकास आयुक्त गढ़वाल/ कुमायूँ मण्डल।
10- आयुक्त ग्राम्य विकास, उत्तरांचल।
11-संबंधित अधिशासी अभियन्ता/नोडल अधिकारी, उत्तरांचल पेयजल निगम, संबंधित जनपद।
12- निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
13- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ हेतु।
14- निजी सचिव, मा0 पेयजल मंत्री जी, उत्तरांचल शासन को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ हेतु।
15- निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर,देहरादून।

आज्ञा से,

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव